



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2008/अश्विन 7, 1930

No. 530]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2008/ASVINA 7, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीलय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

स.का.नि. 693(अ).—केन्द्रीय सरकार सिगरेट और अन्य तमाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिवेद्य और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 3। द्वारा ग्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, सिगरेट एवं अन्य तमाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 को संशोधित करने के लिए एजटद्वारा निम्नलिखित नियम बनावी हैं, अर्थात् :—

1. लघु शौरीक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तमाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधन) नियम, 2008 है :

(2) ये 30 नवम्बर, 2008 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिगरेट एवं अन्य तमाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में नियम 3 से, —

(i) उप-नियम (ङ.) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ.) किसी भी उत्पाद की तब तक बिक्री नहीं की जाएगी जब तक कि पैकेज में विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी निहित न हो:

परन्तु यह कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रत्येक उस फूटकर पैकेज जिसमें तमाकू उत्पाद सामाजिक उपभोक्ता के इस्तेमाल या फूटकर बिक्री के लिए है तथा किसी अन्य वाहा पैकेजिंग जैसे कि कार्टनें या बाक्सों पर चुनित की जाएगी, विपक्कामी जाएगी अथवा लगायी जाएगी और इसमें अन्य पैकेजिंग जैसे कि बोरी शामिल नहीं होंगी।"

(ii) उप-नियम (च.) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(च.) विनिर्दिष्ट चेतावनियां पैक पर प्रयुक्त शाया/भश्याओं में अंकित की जाएंगी :

परन्तु यह कि जहां पैक पर एक से अधिक शाया/भश्याओं का प्रयोग किया जाता है वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी दो शाया/भश्याओं में होगी, एक उस शाया में जिसमें ब्रांड नाम प्रकाशित है तथा दूसरी तरफ कोई स्थानीय शाया या भश्या नहीं जहां उत्पाद की बिक्री की जा रही है।"

[फ. सं. पी-16011/7/2005-ये एच]

मी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— पूल नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 के स.का.नि. 182(अ) के तहत इकाशित किए गए थे।